

अपना बिजनेस

महंगाई छह माह और सताएँगी

रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का अनुमान, अगले साल जनवरी से आएंगी नरमी

आठांका

7.04 फीसदी रही खुदरा
महंगाई मई में

06 फीसदी से ऊपर महंगाई
रहने पर अधिक वृद्धि
पर होता है असर

6.7 प्रतिशत खुदरा महंगाई
दर रहने का अनुमान
चालू वितर वर्ष में

04 फीसदी से ऊपर
लगातार 32 माह से है
खुदरा महंगाई



महंगाई अधिक होने से घटता है रोजगार

महंगाई का असर केवल खाने-पीने के सामान, परिवहन, शिक्षा और इलाज के खर्च पर ही नहीं होता है। बल्कि इससे रोजगार पर भी असर होता है। अधिक विशेषज्ञों का कहना है कि हमें उम्मीद है कि भारत में मौद्रिक नीति कदम दुनिया में किसी अन्य देश की तुलना में किसी ज्यादा उत्तर होगा और हम दो साल के भीतर महंगाई को नियंत्रित लक्ष्य के दरारें में लाने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि अगर मानसून खाने के सामान के दाम में नरमी लाता है तो हम पहले ही मुद्रासंकेत पर अक्षय लगाने में सफल होंगे। उल्लेखनीय है कि अच्छे मानसून से फसल बेहतर होती है जिससे अग्रजों के दाम में उछाल नहीं आता है।

रुपये में तेज गिरावट नहीं होने देगा आरबीआई

माइकल पाणी ने कहा कि रुपये में तेज उत्तर-चढ़ाव नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हाल के समय में अन्य द्वाराओं की तुलना में रुपये की विनियम दर में गिरावट सबसे कम रही है। पाणी ने कहा कि भारत के पास करीब 600 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है जो काफी अधिक है और यहीं वजह है कि रुपये की विनियम दर में बहुत अधिक गिरावट नहीं आई।



अप्रैल में 12.67 लाख लोगों को रोजगार : ईएसआईसी

नई दिल्ली, एजेंसी। कर्मचारी राज्य बीमा नियम (ईएसआईसी) की सामाजिक सुरक्षा योजना में अप्रैल, 2022 में लगभग 12.67 लाख नए सदस्य सामिल हुए थारी इन्हें लोगों को रोजगार मिला।

शुक्रवार को जारी आधिकारिक अंकड़ों से यह जानकारी मिली है। यह नवीनतम अंकड़ा राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) की तरफ से जारी रिपोर्ट भारत में कर्मचारियों के वेतन संबंधी एक रोजगार परिवेश- अप्रैल का दिस्सा है। अंकड़ों के मुताबिक, ईएसआईसी से जुड़ने वाले नए 83.35 लाख नए सदस्य जुड़े थे।

कर्मचारियों की सकल संख्या 2021-22 में 1.49 करोड़ लोग पर बहुचंग गई जबकि वर्ष 2020-21 में यह अंकड़ा 1.15 करोड़ था। इसके पहले वर्ष 2019-20 में 1.51 करोड़ और 2018-19 में 1.49 करोड़ नए सदस्य इससे जुड़े थे। सितंबर, 2017 से लेकर मार्च, 2018 के दौरान ईएसआईसी से

बाजार 30s

शेयरबाजार

सेवेल 52728 +462

टॉप गेनर 15699 +142

कमोडिटी

भाव 78.33 -0.01

सूचना

सीआईएस : L34101HR1985PLC020934

पंजीयन कार्यालय एवं वर्ष : 9-11, मारुति इंडस्ट्रीजल एरिया,

सेक्टर-18, गुरुग्राम-122015, (हरियाणा)

फोन : +91-124-4783000; फैक्स : +91-124-2341359

ई-मेल : cs@munjalshowa.net; वेबसाइट : www.munjalshowa.net

सूचना

विषय: विनियानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय और प्रतिदेश) नियम, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अंतर्गत अशों का हस्तांतरण यह सूचना मंसरू मूँजाल शोवा लिमिटेड के सभी अंशारकों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधारों एवं विनियानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय और प्रतिदेश) नियम, 2016 के साथ पठित प्रासांकिक एवं संशोधनों के प्रावधारों के अंतर्गत दी जाती है।

उक्त नियमों के अनुवाद, ऐसे लाभान्वी अधिकारी अथवा दावा अंशारकों द्वारा लगातार गत साल या अधिक वर्ष से नहीं किया गया था, वे इस नियम के अंतर्गत गठित प्राधिकरण के हस्तांतरण में लिये गये हैं। इस संबंध में, उन सभी अंशारकों जिन्होंने गत साल वर्ष से सालाहा लाभान्वी का दावा नहीं किया है, उनके अंश अब प्राधिकरण के हस्तांतरण हैं।

नियम 6 वर्ष 2021-22 के दौरान, कम्पनी ने 15295 समता अंशों को आईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किया है जिनके सम्बन्ध में लगातार सात अथवा इससे अधिक वर्ष से लाभान्वी अदान्त अथवा गैर-दावाकृत थे।

कम्पनी ने ऐसे अंशारकों, जिनके अदान्तीय अथवा दावा अंशारकों का दावा लगातार गत साल या अधिक वर्ष से नहीं किया गया था, वे इस नियम के अंतर्गत गठित प्राधिकरण के हस्तांतरण में लिये गये हैं। इसे अंतिरिक्त, कठित नियमों के नियम 6(3) के अनुसार, अंशारकों की जानकारी और आवश्यक कार्यालय हेतु, ऐसे अंशारकों का विस्तृत विवरण कंपनी वेबसाइट www.munjalshowa.net पर अपलोड किया गया है।

तदनुसार, संबंधित अंशारकों से लाभान्वी अदान्त अथवा गैर-दावाकृत लाभान्वी का दावा जल्द से जल्द कर लें। यदि कंपनी/आरटीए और अंशारकों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो इस सूचना के तीन वार्ष की अवधि के पूर्ण होने पर, अंशों का कथित नियम के अंतर्गत गठित प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

31 मार्च, 2015 तक उसके उपरान्त समाप्त वर्ष हेतु गैर-दावाकृत लाभान्वी का दावा करने के लिए ताकि शेयरों को हस्तांतरण में स्थानांतरित नहीं किया जा सके:

फॉर्म ISR-1 और ISR-1 (शेयरधारक के नाम वाले मूल रद्द किए गए वेक्टर के साथ), फॉर्म ISR-3, SH-13 या SH-14 (वेक्टर के नाम वाले मूल रद्द किए गए वेक्टर के साथ)।

गैर दावाकृत लाभान्वी का दावा करने हेतु, कृपया इस संबंध में एक लिखित आवेदन पैन कार्ड एवं रद्द किए गए वेक्टर की प्रति के साथ, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा अंशारकों को उल्लेख देते हुए, कंपनी के कथित नियम के अंतर्गत गठित प्राधिकरण को हस्तांतरण हेतु संभाल लें।

यदि एक अंशारकों के विवरण के संबंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सके:

पैन कार्ड एवं रद्द किए गए वेक्टर की प्रति के साथ, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा अंशारकों को उल्लेख देते हुए, कंपनी के कथित नियम के अंतर्गत गठित प्राधिकरण को हस्तांतरण हेतु संभाल लें।

इसके अंतिरिक्त, यदि सदस्यों के प्रति विवरण के संबंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो इस सूचना के तीन वार्ष की अवधि के पूर्ण होने पर, अंशों का विवरण के संबंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

इसके अंतिरिक्त, यदि सदस्यों के प्रति विवरण के संबंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो इस सूचना के तीन वार्ष की अवधि के पूर्ण होने पर, अंशों का विवरण के संबंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

इसके अंतिरिक्त, यदि सदस्यों के प्रति विवरण के संबंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो इस सूचना के तीन वार्ष की अवधि के पूर्ण होने पर, अंशों का विवरण के संबंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

यदि एक अंशारकों के विवरण के संबंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो इस सूचना के तीन वार्ष की अवधि के पूर्ण होने पर, अंशों का विवरण के संबंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

यदि एक अंशारकों के विवरण के संबंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो इस सूचना के तीन वार्ष की अवधि के पूर्ण होने पर, अंशों का विवरण के संबंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

यदि एक अंशारकों के विवरण के संबंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो इस सूचना के तीन वार्ष की अवधि के पूर्ण होने पर, अंशों का विवरण के संबंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

यदि एक अंशारकों के विवरण के संबंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो इस सूचना के तीन वार्ष की अवधि के पूर्ण होने पर, अंशों का विवरण के संबंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

यदि एक अंशारकों के विवरण के संबंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो इस सूचना के तीन वार्ष की अवधि के पूर्ण होने पर, अंशों का विवरण के संबंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

यदि एक अंशारकों के विवरण के संबंध में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो इस सूचना के तीन वार्ष की अवधि के पूर्ण होने